

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 मई 2010—वैशाख 11, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मई 2010

क्र. डी-5-56-04-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, राज्य शासन एवं मण्डी समितियों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के गोहूँ उपार्जन में व्यस्त होने के कारण प्रदेश की 230 कृषि उपज मण्डी समितियों के सामान्य निर्वाचन दिनांक 22 जुलाई 2010 तक की कालावधि के लिये स्थगित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 मई 2010

क्र. डी-5-56-04-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st May 2010

No. D-5-56-04-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under Section 57-A of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby postpones the General Election of 230 Market Committees of the State up to 22nd July 2010, due to involvement of all Officers and Employees of the State and Mandi in Wheat Procurement.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.